

रिपोर्ट पटवारी हल्का चोदजी की खेडी

आवेदन है कि ग्राम चोदजी की खेडी के खाला संख्या 89 पर धीसीलाल दंतक पुत्र लखा चाकड़ के स्थान पर
है तथा ग्राम राखोली के खाला संख्या 31, 33 पर धीसा पुत्र उदा चाकड़ के स्थान पर है। ग्राम चोदजी की खेडी
के खाला संख्या 89 पर धीसीलाल दंतक पुत्र लखा चाकड़ के स्थान पर है। ग्राम चोदजी की खेडी
का नाम धीसा पुत्र उदा चाकड़ के पिता के नाम "लखा" के स्थान पर "उदा" के
स्थान पर लिखा जाना लही है।

तथा धीसीलाल के पुत्र "धीसा" के स्थान पर "उदा" लिखा जाना लही है।
उत्तारिण रिपोर्ट पटवारी एवं सहायक सलाहकार के संयुक्त नाम
चोदजी की खेडी के खाला संख्या 89 व ग्राम राखोली के खाला संख्या 31, 33 में
धीसीलाल दंतक पुत्र लखा के पुत्र धीसा पुत्र उदा के स्थान पर लिखा जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलिया

दिनांक 21/11/2021

दिनांक 16-11-2021

उत्तारिण रिपोर्ट पटवारी एवं सहायक सलाहकार व सहायक तहसीलदार
के संयुक्त नाम चोदजी की खेडी के खाला संख्या 89 में धीसीलाल दंतक पुत्र
लखा के पुत्र धीसा पुत्र उदा के स्थान पर लिखा जाना उचित है।

तहसीलदार

आदेश

के.एस. चोदजी खेडी
तहसील बिजौलिया जिला-भीलवाड़

प. पटवार हल्का चोदजी की खेडी थू. अ. सि. सलाहकार की मांग रिपोर्ट
एवं तहसीलदार बिजौलिया की स्पष्ट अनुमति के आधार पर आवेदन
धीसा पुत्र उदा ग्राम चोदजी की खेडी के खाला संख्या 89
में धीसा नाम धीसीलाल दंतक पुत्र लखा चाकड़ के स्थान पर
धीसा पुत्र उदा लिखा जाना है।

उपखण्ड अधिकारी

16/11/2021
बिजौलिया
बिजौलिया (भीलवाड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजस्थान सरकार
 (पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
 कैम्प कोर्ट का स्थान... चौदरी की खेड़ी

आदेश नं. 11
 दिनांक 16.11.2021

विजोलिया

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चौदरी की खेड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राश्ट्रीकरण अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्वये विजोलिया जिला चौदरी की खेड़ी तहसील विजोलिया में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 89 में निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>चौदरी की खेड़ी</u>	89	<u>बीसीलाल दत्त पुत्र लखा धाकड दर्ज है</u>	<u>बीसीलाल दत्त पुत्र लखा धाकड के स्थान पर बीसा पुत्र उदा दर्ज किया जाता है।</u>
2.				



विजोलिया
 पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजस्थान सरकार
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

क्रमांक :- 198/21

दिनांक :- 16.11.2021

संक्षेप :-

1. तहसीलदार, विजोलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बीसा पुत्र उदा मि. चौदरी की खेड़ी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

विजोलिया
 पीठासीन अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजस्थान सरकार
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021